

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 400 /2021 दिनांक :- 02.02.2021

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 सपठित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
1	श्री मुकेश कुमार रेगर (RJ1114), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, चित्तौड़गढ़।	30	2020 - 2022	05/01/21

आज्ञा से,  
01/2/2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/102/2016/ 930

दिनांक : 02-02-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़।
3. श्री मुकेश कुमार रेगर (RJ1114), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, चित्तौड़गढ़।

01/2/2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

Tamam  
30/1/2021 KJS  
e